

गुरु पातीदास विश्वविद्यालय, बिलातपुर मण्डः :

क्रमांक/४७०९/स्था.प्रशा/शि.नि./८९ बिलातपुर, दिनांक/३१/८९

// आदेश //

विश्वविद्यालय कार्य-परिषद् की बैठक दिनांक १३.७.८९
में पद क्रमांक-। पर लिये गये निर्णयानुसार मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय
अधिनियम १९७३ की धारा-४९ के प्रावधान के अंतर्गत चयन समिति
की अनुर्जित स्वीकार करते हुए निम्नलिखित व्यक्तियों को
विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग मण्डित में उनके नाम के सम्बन्ध दर्शायि
गये पद सर्व वैतनमान पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से
पृथमतः दो वर्ष की परीक्षीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाता है।

उनका वैतन मूलभूत नियमों के अंतर्गत निर्धारित किया
जायेगा।

उन्हें उक्त वैतनमान में समय-समय पर विश्वविद्यालय
द्वारा स्वीकृत अन्य सभी भत्ते देये होंगे :-

क्रमांक	नाम	पद	वैतनमान	विषय	अन्य	विवरण
---------	-----	----	---------	------	------	-------

१- डॉ. सुरेश पंडि. सिंह उपाचार्य ३७००-५७००/- गणित -

✓ २- श्री अश्वय सस. रणदिवे व्याख्याता २२००- गणित -
4000/-

कार्य-परिषद् के आदेशानुसार,

कृपया भूषण त्रिवेदी
गुलसचिव.

पुक्र/४७०९/स्था.प्रशा/शि.नि/८९ बिलातपुर, दिनांक- ३१/८९
प्रतिलिपि:-

✓ ॥ Shri Abhay S. Raenadive Lecturer.
S. P. S. College, Bilaspur

को इस निर्देश के साथ कि वे इस आदेश के जारी होने
की तिथि से १५ दिन के भीतर आवश्यक रूप से अपना
कार्यभार ग्रहण करें। कार्यभार ग्रहण करने की सूचना के
साथ ही मुख्य चिकित्सक या समक्ष शासकीय चिकित्सक
का चिकित्सा प्रमाण-पत्र, आयु संबंधी मूल प्रमाण-पत्र
यदि सेवा में हो, तो पूर्व नियोजक का अनापत्ति
प्रमाण पत्र इस कार्यालय में जमा करना आवश्यक होगा।

- २॥ तथिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली की ओर तूयनार्थ ।
- ३॥ प्रमुख तथिव, म.पु. झातन, उच्च शिक्षा विभाग, भौषाल की ओर तूयनार्थ ।
- ४॥ तथिव, म.पु. उच्च शिक्षा अनुदान आयोग, भौषाल की ओर तूयनार्थ ।
- ५॥ वित्ताधिकारी, गुरु घासीदात विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर तूयनार्थ ।
- ६॥ कुलपति जी के तथिव की ओर कुलपति जी के तूयनार्थ ।
- ७॥ तमन्वयक, शिक्षण विभाग, गुरु घासीदात विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर तूयनार्थ ।
- ८॥ तहायक कुलतथिव॥ शिक्षण विभाग॥ गुरु घासीदात विश्वविद्यालय बिलासपुर की ओर तूयनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित का कार्यमार्ग ग्रहण करने संबंधी तूयना हैं ।



उप-कुलपति
इन्डियन